उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002

अरेंजमेंट ऑफ़ सेक्शन

1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
2- परिभाषायें-
3- लाइसेंस की अवधि-
4- लाइसेंस की स्वीकृति –
5- लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदनपत्र-
6- लाइसेंस हेतु पात्रता
7- लाइसेंस का जारी किया जाना
8- देशी शराब की आपूर्ति
9- अनुज्ञापनों की प्रास्थिति
10- देशी शराब का बिक्री हेतु क्षेत्र और पंजिकाओं का रखरखाव
11- मदिरा की निकासी और परिवहन
12- निरीक्षण
13- अधिकतम फुटकर मूल्य
14- अभिलेखों में त्रुटियापूर्ण प्रविष्टियोंका उत्त्ादायित्व
15- मदिरा का संचय और निषेध-
16- निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियॉ
17- विखण्डन और अपवाद
18- प्रपत्र दे0श0-2

कार्यालय आबकारी आयुक्त, प्रयागराज़, उत्तर प्रदेश।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली **2002**

1- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली **2002** कही जायेगी।

2- यह गजट प्रकाशित होने की तिथि से प्रवत होगी।

2- परिभाषायें-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क)"अधिनियम"का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 से है,

(ख)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क"का तात्पर्य देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य को दो रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त प्रभार्य होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम् थोक मूल्य के अतिरिक्त प्रभार्य होगी।

(ग)"कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है,

(घ)"प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा- 30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी मदिरा की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

(ङ)"देशी स्पिरिट" 25 प्रतिशत व 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) और 42०8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) के रुप में ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता के एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से विनिर्मित देशी स्पिरिट और उत्तर प्रदेश विनिर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) (मसाला सहित) भी सम्मिलित है, जिसमें ऐसी मद्यसारिक सान्द्रता होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत किया जाय।

(च)"आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

(छ)"परिवार" का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों)से है और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं,

(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,

(झ)"व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो,

(ञ)"लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय,

(ट)"लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है,

(ठ)"भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है,

(ड)"पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है,

(ढ)"प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी,

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

(ण)"ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,

(त)"उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0)"-ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(सोलहवॉ संशोधन) नियमावली **2024** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-3 **का संशोधन**

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष, अथवा उसका भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर अगले वर्ष के लिए ऐसे निबन्धन और शर्तो जैसा राज्य सरकार चाहे, पर नवीकरण अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।

नियम-4 **का संशोधन**

4-लाइसेंस की स्वीकृति

(1)(क)देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी,जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि/

सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।

(ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

अनुज्ञापी को इस आशय का रु.**10/-** के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि:-

(एक)वह सम्बन्धित वर्ष हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(दो)उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है; और

(तीन)वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा अनुज्ञापन निमित्त सम्बन्धित की जमा प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष हेतु जमा नवीकरण एवं लाइसेंस फीस, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के अनुज्ञापियों में से आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, निर्धारित शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु.2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी सम्बन्धित वर्ष की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

(2)लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(सत्रहवॉ संशोधन) नियमावली **2025** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-5 **का संशोधन**

5- लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र

लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन किया जायेगा।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(पंद्रहवॉ संशोधन) नियमावली 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-6 का संशोधन

6-लाइसेंस हेतु पात्रताः-

(1) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा।

(2) देशी शराब के थोक विक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगाः-

(क) भारत का नागरिक हों।

अथवा

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।

(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुज्ञा न होगा, किन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) के अनुसार भागीदार का नाम परिवर्तित किया जायेगा, निकटरूप सम्बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक के रूप में बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित अधिमानी क्रम के अनुसार विचार किया जायेगा।

परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होगे।

(4) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(5)(एक)आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;

(दो)आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नही होनी चाहिए।

(6)आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

(एक) यह कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो)यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन)यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(चार)यह कि आवेदक सम्बन्धित जिला के जिला कलक्टर/सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी,जो सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

(पॉच)यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करके अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और इसे अन्वेष अधिकारी द्वारा मॉगें जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(छः)यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नही है।

(सात)यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(सोलहवॉ संशोधन) नियमावली **2023** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-7 का संशोधन

7- लाइसेंस का जारी किया जाना:-

लाइसेंस, प्रपत्र सी.एल. 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष मे गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(सोलहवॉ संशोधन) नियमावली **2023** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-8 का संशोधन

8-देशी शराब की आपूर्तिः-

लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियॉ, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाईसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उदग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपाप्त करेगा।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(तेरहवॉ संशोधन) नियमावली **2020** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-9 का संशोधन
9- अनुज्ञापन की प्रास्थिति – थोक विक्रय के अनुज्ञापन जनपद के मुख्यालय या सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम में या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में खोले जायेगें जो समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली – 1968 के प्राविधानों के अनुसार होगा।
नियम-10 का संशोधन
10- देशी शराब का बिक्री हेतु क्षेत्र और पंजिकाओं का रखरखाव:- (1) प्रपत्र दे0श0-2 में थोक विक्रय का लाइसेंसधारी अपनी लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए देशी शराब का विक्रय- (एक) जिले के देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारियों को, (दो) राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करने के पश्चात अन्य निकटवर्ती जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को, (तीन) आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के थोक लाइसेंसधारियों को, करने का हकदार होगा। (2) लाइसेंसधारी, पंजिका, पास बुक, स्टाक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक फारमेट में भी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर रख-रखाव करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मांगे जाने वाली समस्त सूचनाओं और विवरणों को विहित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायेगा। (3) फुटकर विक्रेता द्वारा सभी शुल्कों , करों और उपकरों को सम्मिलित करते हुए देशी शराब के मूल्य अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा मूल्य के साथ प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र के प्राप्त होने पर थोक विक्रेता लाइसेंसधारी के मांग-पत्रों पर उसके प्राप्त होने का दिनांक, समय अंकित करेगा और मांग-पत्र प्राप्त होने के अड़तालीस घंटों के भीतर देशी शराब की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा । उपरोक्तानुसार फुटकर लाइसेंसधारी को आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में सम्बन्धित थोक विक्रेता लाइसेंसधारी की प्रतिभूति धनराशि समपहृत किये जाने और उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने योग्य होगा। लाइसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसे अन्य आबकारी लाइसेंसों के धारण किये जाने से विवर्जित किया जायेगा। (4) आसवनियों या अन्य थोक दुकानों या बी0डब्ल्यू0सी0एल- 1 से थोक विक्रय की दुकानों को समस्त आपूर्तियां आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित इलेक्ट्रानिक जनित परिवहन पास के माध्यम से की जायेंगी। लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्ति और आपूर्ति की सभी प्रविशिटयां इस प्रयोजनार्थ विहित अभिलेखों में अंकित की जायेगी । (5) थोक विक्रय दुकान से प्रतिदिन दी गयी निकासी की प्रविशिटयां, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अंकित की जायेगी । (6) प्रतिदिन के प्रारम्भिक अवशेष का लेखा, प्राप्ति, योग, विक्री तथा दिन के समापन अवषेश का सरांष इलेक्ट्रानिक फार्मेट में आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आन लाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा । (7) विहित तीव्रता, आयतन, ब्राण्ड एवं पैकेजिंग के प्रकार (ग्लास/पेट बोतल) की देशी शराब की बिक्री आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड लगी बोतलों में उसी हालत में की जायेगी जैसा कि आसवनी अथवा अन्य थोक दुकान अथवा बी0डब्ल्यू0सी0एल-1 से प्राप्त की गयी हो। (8) पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति में प्रयुक्त पेट बोतलों को एक्त्रित किये जाने तथा नष्ट किये जाने की व्यवस्था सम्बन्धित आसवक/थोक विक्रेता को करना होगा। **नोट-** उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(11वां संशोधन) नियमावली **2019** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-11 **का संशोधन**

11-मदिरा की निकासी और परिवहन पासः-

(एक) थोक विक्रय की दुकान से देशी शराब प्राप्त करने वाली फुटकर दुकानों की समस्त निकासी की सम्यक प्रविष्टि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित फुटकर विक्रेता के पास बुकों में की जानी चाहिए। पास बुक में की गई प्रविष्टि को थोक लाइसेंसधारी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत विक्रेता जिनका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो, के द्वारा अंकित व हस्ताक्षरित की जायेगी। थोक लाइसेंसधारी देशी शराब के परिवहन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में कम्प्यूटर जनित परिवहन पास तैयार करेगा तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा। परिवहन पास की प्रथम प्रति, देशी शराब के क्रेता लाइसेंसधारी को देगा और दूसरी प्रति, सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को नवीनतम चौबीस घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति, थोक लाइसेंसधारी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(दो)लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित प्रारूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का सामयिक विवरण जिला आबकारी अधिकारी को प्रेशित करेगा। प्रभार अथवा जोन के अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को निकासी देने के मामलों में उपर्युक्त विवरण की प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन भेजेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा तथा उसे उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी अभिलेखों में प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अधिलेखन तथा सुधारात्मक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेगा।

(तीन) किसी जिला में एक से अधिक थोक लाइसेंसधारी होने की दषा में राज्य-सरकार, किसी एक थोक लाइसेंसधारी से उठान की सीमा नियत कर सकती है।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(11वां संशोधन) नियमावली **2019** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-12 **का संशोधन**

12-निरीक्षण – कोई आबकारी अधिकारी जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, को जब कभी वह थोक विक्रय की दुकान का निरीक्षण करें, लेखों का परिक्षण करने और देशी शराब के स्टॉक की जॉच करने के लिये प्रत्येक सुविधा दी जायेगी।

नियम-13 **का संशोधन**

13- अधिकतम फुटकर मूल्य- आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से , देशी शराब की बोतलों के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकते है। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य प्राभारित नहीं करेगा।

नियम-14 **का संशोधन**

14- अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व-

थोक अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से लेखों, पंजिकाओं व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह तुरटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की क्षति की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा ।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(10 वां संशोधन) नियमावली **2018** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-15 **का संशोधन**

15-मदिरा का संचय और निषेध - (क)थोक अनुज्ञापी देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा। (ख) थोक विक्रय अनुज्ञापी को देशी मदिरा को तनु**,** ब्लेन्ड या रंजित करने अथवा कोई रंजक**,** सुगंध या सुरक्षा कोड अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है। (ग) लाइसेंस का संचालन अनुज्ञापी द्वारा स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत विक्रेता जिसका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो**,** के माध्यम से किया जायेगा। अनुज्ञापी या उसके प्राधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा। **नोट-** उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(10 वां संशोधन) नियमावली **2018** द्वारा प्रतिस्थापित
नियम-16 **का संशोधन**
16- निलम्बन, निरस्तीकरण और षास्तियां:- (1) लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराषि को समपहृत कर सकता है- (क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में देषी षराब की कोई बोतल/टेट्रा पैक या पात्र पाया जाये जिस पर आबकारी षुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड नहीं लगा है; (ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की षराब या मादक ओशधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है; (ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य, देषी षराब के फुटकर विक्रेताआंे से लिया जाता है; (घ) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में अप्राधिकृत रूप से कोई स्प्रिट, रंग, एसेन्स या सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र आदि पाये जाते है; (ङ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में तुरटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविश्टियां की गयी है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है; (च) यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को-षिकमी पर रखा गया है या उसे अंतरित किया गया है; (छ)यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक ओशधि पायी जाती है; (ज) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत षपथ-पत्र या आवेदन-पत्र से किये गये प्राख्यान, असत्य, मिथ्या या भ्रामक पाये जाते है; (झ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लाइसेंस धारण किये हुये है; (त) यदि लाइसेंसधारी मांग की गई तीव्रता, मात्रा, ब्राण्ड व पैकेजिंग के अनुसार, मूल्य, जिसमें षुल्क व अन्य कर व उदग्रहण, जो ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा हो सहित मूल्य के साथ- साथ देषी मदिरा की आपूर्ति हेतु मांग पत्र प्राप्त होने के अड़तालीस घण्टे के भीतर देषी षराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है। (थ) यदि लाइसेंसधारी, लाइसेंस में उल्लिखित किसी षर्त का उल्लंघन करता है। (द) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना बार कोड/क्यू0आर0कोड का कोई स्टाक पाया जाता है।

(ध) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) उप खण्ड-(1) में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराषि को समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंसधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर, यदि चाहे, प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेष, जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम-(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् लाइसेंसधारी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविशिट या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी लाइसेंसधारी से वसूल करेगा।

(4) थोक लाइसेंसों पर प्रषमन योग्य उल्लंघन की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम प्रषमन षुल्क अधिरोपित की जायेगीः-

क्र0सं0	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रू0 में)	द्वितीय बार (रू0 में)	तृतीय बार (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना।	10000	20000	50000
2	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना।	20000	30000	50000
3	इण्डेन्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना।	10000	20000	50000
4	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10000	15000	20000
5	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्य न करना।	10000	20000	30000
6	निर्धारित समयान्तर्गत निकासी न दे पाना।	20000	40000	50000
7	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना।	20000	30000	50000
8	लाइसेंस प्रस्तुत न होना।	5000	10000	30000

9	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना।	5000	10000	20000
10	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना।	5000	10000	15000
11	परिसर का अनुमोदित न होना।	10000	25000	50000
12	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना।	10000	20000	30000
13	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10000	20000	50000
14	यदि स्टाक रजिस्टर मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	20000	25000	30000
15	यदि स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया जाता है।	10000	15000	20000
16	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा दूसरी दुकान पर सद्‌्भावी कारणों से पायी जाती है।	25000	50000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01-16 तक पर न अंकित हो।	2,000	5,000	10,000

प्रशमन योग्य अनियमितताओं के मामले में, उप आबकारी आयुक्त तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकरियों को, अनियमितता का प्रशमन करने तथा प्रषमन षुल्क स्वीकृत करने का हक होगा।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(तेरहवॉ संशोधन) नियमावली **2020** द्वारा प्रतिस्थापित

नियम-17 **का संशोधन**

17- विखण्डन एवं अपवाद-

(1) समय समय पर यथासंशोधित उत्त्ार प्रदेश आबकारी (देशी शराब थोक बिक्री दुकान का व्यवस्थापन) नियमावली, विखण्डित की जाती है।
(2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उप नियम(1) में निर्दिष्ट नियम के उपबन्धों के अधीन देशी शराब के ऐसे थोक लाइसेंसों के लिये वित्तीय वर्ष 2001- 2002 के लिये पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधिमान्य रहेगा और 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगा।

प्रपत्र सी.एल. 2 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

सी.एल. **2**

(जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस)

(नियम-2(ङ))

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो

सी**0**एल**0-2** परिसर का अक्षांश/देशान्तर...................
1-लाइसेंस संख्या..............................
2-जिला..
3-लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों का नाम, पूरा पता एवं आधार संख्या
(एक)..
(दो)...
4-सी**0**एल**0-2** लाइसेंस की संख्या और दिनांक...............
5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में).................................अंक में**..................................**शब्द में
6-प्रतिभूति जमा (रूपये में)...........अंक में**.......**शब्द में
7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण
स्थान और मकान संख्या........................
तहसील..........पुलिस थाना...............
उत्तर...............................
दक्षिण..............................
पूरब................................
पश्चिम ....

100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली काँच की बोतलों में 42०8% वी०/वी० **(**सादा, सुवासित और मसाला**),** 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत वी/वी (सादा, सुवासित और मसाला) की पेट बोतलों तथा 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली टेट्रा पैक एवं उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) की नियत तीव्रता की तीक्ष्ण देशी शराब की थोक विक्रय के लिये लाइसेंस, जिला.................... में..(स्थान) पुलिस थाना.......... तहसील ....के लिये

दिनांक...............से **31** मार्च, **20**...........तक के लिये, जिसके लिये नियम-**7** के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-**16** के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, **1910** अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, **1985** के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों को लाइसेंस के रद्द्करण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।

निबंधन एवं शर्ते

1. लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी शराब के बंधित गोदामों अर्थात बी**0**डब्ल्यू**0**सी**0**एल**0-1** से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों,जो समय-समय पर उदग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।

2. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।

3. थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-**10** के उप खण्ड **(1), (2)** और **(3)** के उपबंधों के अनुसार करेगा।

4. थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी, पी**0**डी**0-25** ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।

5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय और दिनांक एवं आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उत्तर प्रदेश आबकारी ऑनलाइन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत बिक्रीकर्ता, प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका एवं फुटकर बिक्रीकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से यू0पी0 एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

7- देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टाक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।

8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के **48** घंटे के अन्दर देशी मदिरा की आपूर्ति नियमावली **2002** (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तें के नियम-**8** के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी मदिरा आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।

9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक माँग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

10.लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारुप पर नियम-**11** के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा एवं प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।

11.देशी शराब का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नही करेगा।

12.लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी मदिरा की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।

13.लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।

14.थोक विक्रेता को किसी प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।

15.लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

16. लाइसेंसप्राप्त परिसर **14** अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), **15** अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), **2** अक्टूबर (गांधी जयन्ती), **26** जनवरी(गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः **08:00** बजे से सायं **08:00** बजे तक खुला रहेगा।लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

17.लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

"परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

18.लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।

19.लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।

20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रुप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, जो किसी अपराधिक पृष्ठ-भूमिका का हो, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत बिक्रीकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सक्रिय सी**0**सी**0**टी**0**वी**0** कैमरा लगायेगा, जिसे आई**0**पी**0** एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।

23-उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी**0**डब्ल्यू**0**सी**0**एल**0-1** से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा।

24-लाइसेंसधारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।

25-दुकानवार,धारिता व तीव्रतावार, ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण विर्निदिष्ट पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।

26-लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।

27-फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

28-लाइसेंसधारी न्यूनतम एक सप्ताह के स्टाक की आवश्यकता के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।

29-लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर**0**टी**0**जी**0**एस**0**, एन**0**ई**0**एफ**0**टी**0** एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रुप में कराई जायेगी।

30-लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर को नियोजित करेगा।

31-लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशांतर, अवस्थिति का चित्रण बिक्रीकर्ताओं के नाम व पता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।

32-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

33-लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिए बिक्रीकर्ताओं की सूची आबकारी आयुक्त/ आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के पश्चात् वह तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांकः......................

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नोट- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)(सोहलहवॉ संशोधन) नियमावली **202**3 द्वारा प्रतिस्थापित

आज्ञा से,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

- टिप्पणी
- उत्तर प्रदेश आबकारी नि (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)यमावली 2002 जो उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग-1, खण्ड दिनांक (क)26 मार्च 2002 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 31276/दस-58/लाइसेंस /2002-03 दिनांक 26 मार्च 2002 के अन्तर्गत जारी हुई, को निम्नलिखित नियमावलियों द्वारा संशोधित किया गया है-
- प्रथम संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-1, खण्ड दिनांक (क)27 अक्टूबर 2006 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 20017/दस- लाइसेंस-58/2006-2007 दिनांक 27 अक्टूबर 2006 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब) नियमावली (प्रथम संशोधन) (की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन2006।
- द्वितीय संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-1, खण्ड दिनांक (क)28 जून 2007 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 15518/दस- लाइसेंस-58/2007-2008 दिनांक 28 जून 2007 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की) नियमावली (द्वितीय संशोधन) (थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन2007।
- तृतीय संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-1, खण्ड दिनांक (क)30 मार्च जून 2008 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 46817/दस-लाइसेंस-58/2007-08 दिनांक 30 मार्च 2008 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की) नियमावली (तृतीय संशोधन) (थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन2008।
- चतुर्थ संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)13 फरवरी 2009 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 25764/दस- लाइसेंस-58 दिनांक 13 फरवरी 2009 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की थोक बिक्री) नियमावली (चतुर्थ संशोधन) (के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन2009।
- शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या -29220/दस लाइसेंस-58/ देशी शराब थोक नियमावली/2009-10 दिनांक 01 मार्च 2009 के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित अधिसूचना संख्या 25764/दस- लाइसेंस-58 दिनांक 13 फरवरी 2009 का शुद्धि पत्र।
- पंचम संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)31 मार्च 2011 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 30334/दस लाइसेंस-58 दिनांक 31 मार्च 2011 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की थोक बिक्री के लिये) नियमावली (पंचम संशोधन) (लाइसेंसों का व्यवस्थापन2011।
- षष्ठम संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)29 सितम्बर 2011 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 15483/दस लाइसेंस-58 दिनांक

29 सितम्बर 2011 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की थोक बिक्री के लिये) नियमावली (षष्ठम संशोधन) (लाइसेंसों का व्यवस्थापन20111

- सप्तम संशोधन उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)30 मार्च 2013 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 25183/दस- लाइसेंस-58/2013-14 दिनांक 30 मार्च 2013 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की) नियमावली (सप्तम संशोधन) (थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन2013।
- आठवॉ संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-4. खण्ड दिनांक में प्रकाशित एवं (क) आबकारीआयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की योक) नियमावली। (अहम संशोधन) (बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन
- नवम संशोधनउत्तर प्रदेश गजट-, असाधारण भाग-1, खण्ड विनांक (क)22 मार्च 2016 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 31788/दस- लाइसेंस-58/2016-17 दिनांक 22 मार्च 2016 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी वेशी शराब की) नवम सं) (थोक बिक्री के लिये ताइसेंसों का व्यवस्थापनशोधन नियमावली (20161
- दशम् संशोधनउत्तर प्रदेश गजट -, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)23 मार्च 2018 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 52021/दस लाइसेंस-58/देशी शराब- थोक नियमावली/2018-19 दिनांक 23 मार्च 2018 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब की)थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन नियमावली (दशम् संशोधन) (2018।
- ग्यारहवॉ संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)27 मार्च 2019 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 102567/दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2019 -20 दिनांक 27 मार्च 2019 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)ग्यारहवॉ संशोधन (नियमावली2019।
- बारहवॉ संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)01 अक्टूबर 2019 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 19455 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2019 -20 दिनांक 01 अक्टूबर 2019 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी देशी शराब)की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (बारहवॉ संशोधन नियमावली (2019।
- तेरहवॉ संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क) 20 अप्रैल 2020 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 2131 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/20- 21 दिनांक 20 अप्रैल २०२० के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी

) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)तेरहवॉं संशोधन नियमावली (2020 ।

- चौदहवॉं संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क) 03-03-2020 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 22553 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2021-22 दिनांक 20 अप्रैल २०२० के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)तेरहवॉं संशोधन (नियमावली2021।
- पंद्रहवॉं संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क) २५ जुलाई 2022 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 5897 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/२०२२-२३ दिनांक २५ जुलाई 2022 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)पंद्रहवॉं संशोधन (नियमावली2022।
- सोलहवॉं संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क)04 अप्रैल 2024 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 143 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2023- 24 दिनांक04 अप्रैल 2024 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)सोलहवॉं संशोधन (नियमावली2024।
- सत्रहवॉं संशोधन- उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग-4, खण्ड दिनांक (क) 22 मई 2025 में प्रकाशित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 463 दस लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2024-2 दिनांक 22 मई 2025 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश आबकारी) (देशी शराब की योक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)सोलहवॉं संशोधन नियमावली (2024।